

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103007102014

दांडिक प्रकरण क.-535 / 14

संस्थापित दिनांक-17.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-सन्तुआ पुत्र सुम्मा वंशकार उम्र 48 साल । 02-रामलाल पुत्र मनसुखा वंशकार उम्र 36 साल । निवासीगण ग्राम खैरा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>.....आरोपीगण ।</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. । आरोपीगण द्वारा :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 01.04.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 289, 294, 323, 506बी, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323/34—दो शीर्ष, 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 289—दो शीर्ष के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी नाजू ने दिनांक 28.08.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसका लडका अमिल व उसके चाचा का लडका सतेंद्र स्कूल से घर आ रहे थे। रास्ते में संतुआ का पालतू कुत्ता जयराम के घर के सामने रास्ते में बैठा था। उसके लडके अमिल व चाचा के लडके सतेंद्र को कुत्ते ने काट लिया। जब उसने यह बात संतुआ के घर जाकर उसे बताई एवं इलाज कराने को कहा तब संतुआ उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए बोला कि आज मादरचोद तेरा इलाज कराता हूं और लाठी से मारपीट की जिससे चोटे आईं। उसकी पत्नी रामकुअर बचाने आई तो संतुआ के चचेरे भाई रामलाल ने उसकी पत्नी रामकुअर की लाठी से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 363/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 289, 294, 323, 506बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323/34—दो शीर्ष, 506बी, 289—दो शीर्ष के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.08.14 को समय करीब 2 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम खेरा में जयराम माते घर के सामने उनके कब्जे के कुत्ते ने उनकी उपेक्षापूर्वक लोप से आहत अनिल व सतेन्द्र को काटकर अभिसंभाव्य संकट कारित किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 नाजू अ.सा. 02 अनिल, अ.सा. 03 सत्येंद्र, अ.सा. 04 रामकुअर बाई, अ.सा. 05 डॉ एम एल खरका, अ.सा. 06 रघुवीर सिंह पाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 नाजू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार अनिल उसका लडका है तथा सत्येंद्र उसके चाचा का लडका है। अ.सा. 01 के अनुसार घटना दिनांक को संतुआ के कुत्ते ने सत्येंद्र व अनिल को संतुआ के दरवाजे के सामने काट खाया था। उक्त साक्षी के अनुसार कुत्ते ने आरोपी की बाखर से निकलकर खा लिया था तथा आरोपी के कुत्ते ने ही काटा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके बच्चे स्कूल से आ रहे थे तब आरोपी के कुत्ते ने काटा था। अ.सा. 01 के अनुसार दोनों रोते हुए घर आए थे। अ.सा. 02 अनिल ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वे स्कूल से पढ़कर आ रहे थे तब संतुआ के कुत्ते ने उसे एवं सतेन्द्र को काट खाया था। जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ था। अ.सा. 02 के अनुसार कुत्ता संतुआ के घर के अंदर था। अ.सा. 03 सतेन्द्र ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को संतुआ के कुत्ते ने उसे तथा अनिल को काट लिया था। अ.सा. 04 रामकुअर बाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को अनिल व सतेन्द्र को संतुआ के कुत्ते ने काट लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार कुत्ता संतुआ के घर के अंदर से आया था।

09— अ.सा. 05 डॉ एम एल खरका ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा

दिनांक 28.08.16 को आहत नाजू एवं रामकुअर बाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत सतेंद्र एवं आहत अनिल का मेडिकल परीक्षण किया था जिसकी मेडिकल रिपोर्ट प्रपी 05 एवं प्रपी 06 है जिसके अनुसार आहतगण के शरीर पर चोटें आई थीं। अ.सा. 06 रघुवीर सिंह द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किया जाना बताया गया है।

10— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि दोनों आहतगण अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 द्वारा स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया गया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी संतुआ के कुत्ते ने उन्हें काट खाया था। उक्त तथ्य का अनुसमर्थन अ.सा. 01 एवं अ.सा. 04 की साक्ष्य से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य की संपुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत मेडिकल साक्ष्य से भी हो रही है। आरोपी संतुआ द्वारा ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने आरोपी रामलाल के विरुद्ध कुत्ते द्वारा काटने के संबंध में नहीं बताया है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि सभी अभियोजन साक्षीगण ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी संतुआ के कुत्ते ने आहतगण को काट खाया था तथा आरोपी रामलाल का उक्त अपराध में कोई सहयोग नहीं था।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी संतुआ के कुत्ते ने आहतगण को काटा था तथा आरोपी रामलाल की उक्त अपराध में कोई संलिप्तता प्रमाणित नहीं हो रही है। परिणामतः आरोपी रामलाल को भादवि की धारा 289—दो शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी संतुआ को भादवि

की धारा 289—दो शीर्ष के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी संतुआ को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी संतुआ एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

13. आरोपी संतुआ के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी संतुआ को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी संतुआ को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी एवं आरोपी का राजीनामा भी हो गया है। अतः ऐसी दशा में आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में

आरोपी संतुआ को भा.द.वि. की धारा 289—दो शीर्ष के अपराध में 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 7 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)